रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/आषाढ़ 24, 1936
No. 204] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 11 जुलाई, 2014

सं. टीएएमपी/35/2010-सीडब्ल्यूसी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, कांडला पत्तन न्यास स्थित अपने कंटेनर फ्रैट स्टेशन पर केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं की प्रचलित प्रशुल्क की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

(प्रकरण सं. टीएएमपी/35/2010-सीडब्ल्यूसी)

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चंद्रभान सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जुलाई 2014 के 4थे दिन पारित)

यह प्रकरण कांडला पत्तन न्यास स्थित अपने कंटेनर फ्रैट स्टेशन पर केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रचलित प्रशुल्क की वैधता को विस्तार प्रदान किए जाने से संबंधित है।

2. सीडब्ल्यूसी के प्रचलित दरमान (एसओआर) को इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/35/2010-सीडब्ल्यूसी दिनांक 06 जनवरी 2012 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था जो, भारत का राजपत्र में 01 मार्च 2012 को अधिसूचित किया गया था। आदेश, दरमान की वैधता 31 मार्च 2014 तक प्रदान करता है। इस प्राधिकरण ने सीडब्ल्यूसी के

प्रचलित दरमान की वैधता को दिनांक 4 अप्रैल 2014 के आदेश के माध्यम से 30 जून 2014 तक विस्तार प्रदान कर दिया है जो भारत का राजपत्र में राजपत्र सं. 146 के जरिए 19 मई 2014 को अधिसूचित किया गया है।

3.1. सीडब्ल्यूसी द्वारा, दिनांक 28 दिसंबर 2013 और 12 फरवरी 2014 के अपने पत्र के माध्यम से की गई प्रस्तुतियों के आधार पर, इस प्राधिकरण ने सीडब्ल्यूसी को अपना प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून 2014 तक समय प्रदान किया था।

3.2. अब सीडब्ल्यूसी ने, दिनांक 16 जून 2014 के अपने ई-मेल के जरिए बताया है कि केपीटी पर कंटेनर प्रचालन बिलकुल नहीं हैं और इसलिए केपीटी पर इंपेक्स पोतों का यातायात बंद है और इसका यह प्रभाव हुआ है कि कांडला पत्तन स्थित सीडब्ल्यूसी-सीएफ़एस पर वास्तविकरूप से शून्य कारोबार है। पत्तन पर इंपेक्स कंटेनर यातायात के बिना, प्रशुल्क प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। केपीटी ने कंटेनर टर्मिनल प्रचालक की नियुक्ति हेतु ईओआई जारी किया है। इस नियुक्ति हेतु कुछ समय, संभवतः छः से आठ महीने लग सकते है। उपरोक्त के कारण, सीडब्ल्यूसी ने अपना प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 31 मार्च 2015 तक का समय मांगा है। साथ ही साथ, इसने अनुरोध किया है कि, 30 जून 2014 के बाद भी, इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित प्रशुल्क अनुमोदित किए जाने तक, वर्तमान प्रशुल्क प्रचलित रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाए।

4.1. केपीटी में चल रही असाधारण हालात पर गौर करते हुए, जैसा कि सीडब्ल्यूसी ने दिनांक 16 जून 2014 के अपने पत्र में बताया है, अपने दरमान के संशोधन हेतु इसके प्रस्ताव को दाखिल करने के लिए, यह प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी को 31 दिसंबर 2014 तक का समय प्रदान करता है।

4.2. चूंकि सीडब्ल्यूसी के प्रचलित दरमान की विस्तारित वैधता 30 जून 2014 को समाप्त हो चुकी है, यह प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी के दरमानों की वैधता को, इसकी वैधता की समाप्ति की तिथि से 31 दिसंबर 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है।

4.3. 1 अप्रैल 2014 के बाद वाली अवधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो, उसकी निष्पादनता की समीक्षा के समय, वह अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में, पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

4.4. जैसाकि इसके पहले सलाह दी गई थी, सीडब्ल्यूसी को निर्देश दिया जाता है कि कांडला पत्तन न्यास से यातायात आकड़ों को प्राप्त करके, प्रदत्त समय सीमा 31 दिसंबर 2014 के भीतर प्रदत्त प्रारूप में लागत विवरणी के साथ, अपना प्रस्ताव दाखिल करें।

टी.एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[सं. विज्ञापन-III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 11 July, 2014

No. TAMP/35/2010-CWC.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing tariff for the services rendered by the Central Warehousing Corporation at the Container Freight Station in the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

(Case No. TAMP/35/2010-CWC)

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on 4th day of July, 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Central Warehousing Corporation (CWC) for the services rendered by it at the Container Freight Station in the Kandla Port Trust.

2. The existing Scale of Rates (SOR) of CWC was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/35/2010-CWC dated 06 January 2012 which was notified in the Gazette of India on 01 March, 2012. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2014. This Authority has extended the validity of the existing SOR of the CWC till 30 June, 2014 vide Order dated 4 April, 2014 which is notified in the Gazette of India on 19 May, 2014 *vide* G. No. 146.

3.1. Based on the submissions made by the CWC, vide its letter dated 28 December, 2013 and 12 February, 2014, this Authority had granted time to CWC file its proposal by 30 June, 2014.

3.2. The CWC now, vide its email dated 16 June, 2014 has submitted that there is no container operations at KPT and hence no IMPEX vessel is not reporting at KPT resulting in virtually nil business at CWC-CFS Kandla port. Without any IMPEX container traffic at port, the tariff proposal will not be justifiable. The KPT has floated EOI for appointment of Container terminal Operator. The finalization of the same might take time possibly six-eight months. In view of that the CWC has requested time up to 31 March, 2015 to file its proposal. Simultaneously, it has also requested to allow to continue the existing tariff beyond 30 June, 2014 till revised tariff is approved by the Authority.

4.1. In view of the extraordinary situation prevailing at the KPT as brought out by the CWC in its letter dated 16 June, 2014, this Authority grants time till 31 December, 2014 to CWC to file its proposal for revision of its SOR.

4.2. Since the extended validity of the existing SOR of the CWC has expired on 30 June, 2014, this Authority extends the validity of the existing SOR of the CWC from the date of its expiry till 31 December, 2014 or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

4.3. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2014, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

4.4. As advised earlier, the CWC is directed to file its proposal along with cost statement in the prescribed format after ascertaining the traffic figures from the Kandla Port Trust within the time limit prescribed till 31 December, 2014.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[No. ADVT.-III/4/Exty./143/2014]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.